

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1927 /2019 दिनांक :30.09.2019

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर को दिनांक 29.07.2019 से 03.08.2019 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 27.07.2019 से 28.07.2019 एवं 04.08.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/43/2016/ 9215 दिनांक 30.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 9745 दिनांक 19.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर ।


सहायक रजिस्ट्रार